

## 6. लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी और डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर का दृष्टिकोण

डॉ. विनोद निताळे

असिस्टेंट प्रोफेसर,

भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र, अमरावती

ईमेल: [nitalevinod@gmail.com](mailto:nitalevinod@gmail.com)

### सारांश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के पत्रकारिता में निहित सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि आज भी उतनी ही उपयुक्त है। सामाजिक प्रश्नों का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ है। समय बदल रहा है। तदनुसार, प्रश्न की प्रकृति भी बदल रही है। हालांकि, कुछ सामाजिक मुद्दों की गंभीरता अभी भी उतनी ही चिंताजनक है। पत्रकारिता को सामाजिक सद्भाव प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। समाज निर्माण में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका है। जन जागरूकता बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पत्रकारिता का प्रभावी उपयोग एक चुनौती बना हुआ है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करते हुए यदि हम समाज के नीतिगत मूल्य का निर्धारण करें तो मीडिया की समस्याएँ कम हो जाएँगी। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कारोबार करना अभी के समय में बड़ा कठिन कार्य बन चुका है। मीडिया के सामने चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। बहरहाल, अगर हम डॉ. बाबासाहेब जी के पत्रकारिता के दृष्टिकोण को समझें तो वहाँ हमें सामाजिक प्रतिबद्धता की पत्रकारिता नजर आती है। इसी माध्यम से हम सामाजिक सरोकारकी पत्रकारिता कर पाएँगे। पत्रकारिता लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बनेगा।

**प्रमुख शब्द :** डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पत्रकारिता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतंत्र सशक्तिकरण, मीडिया

### प्रस्तावना:

लोकतांत्रिक प्रणाली में मीडिया की भूमिका अद्वितीय है। मीडिया को लोकतंत्र को मजबूत करने और विकसित करने का अहम काम करना है। मास मीडिया में समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट शामिल हैं। मास मीडिया को जन माध्यम कहा गया है। जिसका अर्थ आम जनता का प्रतिबिंब दिखना है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसीलिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन ने 'लोकतंत्र' शब्द की परिभाषा करते हुए कहा था, "लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है।" लोकतंत्र में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। प्राचार्य डॉ. पी.डी. देवेरे कहते हैं, "लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों की भागीदारी अपरिहार्य है। वास्तव में, अधिक से अधिक जनभागीदारी एक सफल लोकतंत्र की निशानी मानी जाती है (डॉ. देवेरे 2010)।" इसलिए लोकतांत्रिक विकास में जन भागीदारी महत्वपूर्ण है और भारतीय लोकतंत्र अपने लोगों के कारण जीवित है। प्रो. (डॉ.) कस्तूरे वाडकर के अनुसार, "लोकतांत्रिक शासन लोगों की सामूहिक भागीदारी के माध्यम से विकसित होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले भारत में लोकतंत्र मजबूत रहा है। इसका असली श्रेय यहाँ की जनता को है" (डॉ. वाडकर 2010)<sup>2</sup> लोकतंत्र के इस

सशक्तिकरण में जनता को जोड़ने की कड़ी मीडिया है। जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी में लोकतंत्र को बढ़ाने, बनाए रखने और मजबूत करने में जनसंचार माध्यमों के योगदान को कोई नकार नहीं सकता।

लोकतंत्र और पत्रकारिता को अलग नहीं किया जा सकता है यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पत्रकारिता के कारण ही लोकतंत्र जीवित रहता है। जी स्टुअर्ट एडम और रॉय पेटल कार्ल लोकतंत्र और पत्रकारिता के बीच संबंध के बारे में कहते हैं, “Journalism is a large subject, but democracy is many times large and many times more complex. So it is difficult to lay out in a few short paragraphs why the first matters so much in the consideration of the second.”(Adam and Clerk 2006)<sup>3</sup> लोकतंत्र एक बड़ा और जटिल हिस्सा है। पत्रकारिता एक अलग विषय है। इसलिए, लोकतंत्र और पत्रकारिता के दो मुद्दों को कुछ पंक्तियों में अलग करना मुश्किल है। लोकतंत्र से पत्रकारिता को समग्र रूप से अलग करना भोजन से तीखे नमक को बाहर करने जैसा है। थॉमस जेफरसन पत्रकारिता को अमेरिकी सरकार का आधार मानते थे। कहते हैं, “यदि यह मुझ पर छोड़ दिया जाए कि हमारे पास समाचार-पत्रों रहित सरकार हो अथवा सरकार रहित समाचार पत्र हों तो मैं परवर्तीस्थिति (सरकार रहित समाचारपत्र) का चयन करने में एक क्षण को भी नहीं हिचकूंगा” (माथुर 1999)<sup>4</sup> भारत ही नहीं अन्य देशों में भी जनमत निर्माण की दृष्टि से पत्रकारिता का विशेष महत्व है,

### लोकतंत्र सशक्तिकरण और मीडिया:

मोटे तौर पर कहा जाए तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथनिंग शब्द का अर्थ है लोकतंत्र को मजबूत करना। लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण होती है। लोगों को उनके प्रश्नोंसे अवगत कराना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना, स्वतंत्रता का लाभ प्राप्त करवाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक करना और कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सहयोग देना ही लोकतंत्र सशक्तिकरण की प्रक्रियाको दर्शाता है। जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को संतोषप्रद जीवन न मिले, अच्छे जीवन की दिशा न मिले, देश में समता स्थापित न हो, तब तक स्वस्थ लोकतंत्र का अस्तित्व है, यह कहना आँख में धूल झोंकने के समान है। भारत में आज भी जाति व्यवस्था की राजनीति गतिशील है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महिला, बाल श्रम, आदिवासियों का पुनर्वास, मलिन बस्तियों, किसानों और श्रमिकों के मुद्दे सुलगा रहे हैं। इसी से मिलते जुलते कई प्रश्न अलग-अलग रंग के साथ सामने आ रहे हैं। आज यही ज्वलंत प्रश्न भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अपराध, नक्सलवाद, आतंकवाद का रूप धारण कर चुका है। बेशक, बढ़ती आबादी कई सवाल खड़े करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा, कई नए चिंताजनक प्रश्नोंको जन्म देती है। नागरिक के उत्थान के बिना लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। यह सशक्तिकरण मीडिया की जिम्मेदारी है। अखबारों में वह ताकत होती है। समाचार पत्रों का मुख्य कार्य शिक्षित करना, सूचित करना, प्रबुद्ध करना, बहस करना और मनोरंजन करना है। समाचार कर्ताको क्या करना चाहिए, इस संबंध में लोकमान्य तिलक जी ने कहा है, “समाचार पत्रों का मुख्य कर्तव्य चिकने कागज पर रंगीन, चुलबुली सामग्री छापकर लोगों का मनोरंजन करना नहीं है। देश की राजनीतिक स्थिति क्या है? राजनीतिक रूप से लोग किस राज्य में हैं? उनके अधिकार क्या हैं? राजनीतिक रूप से लोग बचपन से वयस्कता में कैसे संक्रमण करते हैं? यह बताना ही देश के प्रमुख समाचार पत्रों का कार्य है। (डॉ० गव्हाणे 2008)<sup>5</sup>

भारतीय लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तंभ हैं। 1. संसद 2. न्यायपालिका, 3. प्रशासन इन तीन स्तंभों के अलावा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। इन में समाचार पत्र, समाचार चैनल, रेडियो शामिल हैं। पत्रकारिता को भारत के संविधान द्वारा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार करते हुए लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के समुचित कार्य के लिए सदैव सतर्क रहना होगा। पत्रकारिता का नैतिक दायित्व है कि वह तटस्थ भाव से देखे कि कैसे ये तीन स्तंभ लोगों के विकास के लिए देश की दिशा निर्धारित करते हैं। डॉ. सुधीर गव्हाणे कहते हैं, 'पत्रकारिता' लोकतंत्र में चौथी शक्ति के रूप में कार्य करती है, जिसके पास संसद, न्यायपालिका और प्रशासन की तुलना में वस्तुतः कोई अधिकार और कानूनी शक्ति नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कमजोरी नहीं बल्कि इस चौथी शक्ति की ताकत है। पत्रकारिता एक प्रकार की खुली न्यायपालिका है, ठीक उसी तरह जैसे न्यायपालिका विभिन्न शक्ति केंद्रों या नौकरशाहों द्वारा किए गए अन्याय का निवारण करने के लिए काम करती है। विलियम रिवर ने अपनी पुस्तक 'द अदर गवर्नमेंट' में समान्तर सरकार का उल्लेख किया है, वे कहते हैं, 'लोकतंत्र में यह समान्तर सरकार जितनी अधिक जागृत, सतर्क और शक्तिशाली होती है, उतना ही अधिक लोकतंत्र समाज को ठीक कर सकता है और लाभान्वित कर सकता है' (डॉ. गव्हाणे 2008)।<sup>6</sup> लोकतंत्र में प्रोफेसर श्रीमती डेरिस ग्रैनर ने समाचार पत्रों की भागीदारी के पांच सिद्धांतों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में अखबारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर उनकी राय है 'A free press, reflecting diversity of opinions throughout the country, provides a forum of discussions of many conflicting ideas' एक स्वतंत्र प्रेस या पत्रकारिता कई विवादास्पद विचारों पर देश भर में विविध मतों को स्थान देकर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है। "A free press furnishes citizens with information that they need to perform the duties of citizenship adequately" एक स्वतंत्र प्रेस नागरिकों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। "A free press is the public agent in communication with government officials" जनता के प्रतिनिधियों के रूप में, स्वतंत्र प्रेस सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करती है "A free press provides an outlet for public expression of unpopular minority views" एक स्वतंत्र प्रेस काम को उन विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में देखता है जो जनता के बीच अलोकप्रिय हैं, कुछ लोगों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। "A free press constitutes the citizens eyes and ears to detect and report corruption, abuses of power and other misconduct by government officials" एक स्वतंत्र प्रेस नागरिकों की आंखें और कान है। इसके माध्यम से, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और सरकारी अधिकारियों के अन्य दुर्व्यवहारों का पता लगाया जाता है। (डॉ. गव्हाणे 2008)<sup>7</sup> प्रो. डेरिस ग्रैनर के पांच सिद्धांत लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के संबंध में महत्वपूर्ण हैं।

### डॉ. बाबासाहब आंबेडकरजी का दृष्टिकोण:

डॉ. भीमराव आंबेडकर एक महान समाजवादी, महापुरुष और पत्रकार थे। उन्होंने भारतीय समाज को बदलने के लिए अपना सबसे बड़ा योगदान पत्रकारिता के माध्यम से दिया। उनके लेखों और व्याख्यानों में उन्होंने सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समानता के मुद्दों पर बल दिया। आंबेडकर ने समाज को जागरूक बनाने के लिए पत्रकारिता का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं और अन्य मीडिया के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने

अपने लेखों में विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उठाया, जैसे कि अंतर-जाति विवाह, शिक्षा और समानता। आंबेडकर के लेखों ने लोगों में जागरूकता और आत्मविश्वास का संचार किया और उन्हें समाज में अपनी अहमियत समझने में मदद की। आंबेडकर ने अपने लेखों के माध्यम से समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और उन्हें सार्थक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

डॉ. बी. आर. आंबेडकर पत्रकारिता के माध्यम से वे अपने समाजवादी और न्याय संबंधी विचारों को समाज के सामने रखने का प्रयास करते थे। आंबेडकर ने अपने लेखों, संपादकीयों और समाचार पत्रों के माध्यम से जाति, लैंगिक असमानता और उससे उत्पन्न समस्याओं को उजागर किया।

“आमच्या या बहिष्कृत लोकांवर होत असलेल्या व पुढे होणा-या अन्यायावर उपाययोजना सुचविण्यास तसेच त्यांची भावी उन्नती व तिचे मार्ग यांच्या ख-या स्वरूपाची चर्चा होण्यास वर्तमानपत्रासारखी अन्य भूमीच नाही” (मूकनायक 1920) हमारे इन बहिष्कृतों पर हुए अन्याय के लिए उपाय सुझाने और उनके भविष्य की उन्नति और उसके पाठ्यक्रम की वास्तविक प्रकृति पर चर्चा करने के लिए समाचार पत्र जैसा कोई अन्य क्षेत्र नहीं है” (मूकनायक 1920)।

हमें समाचार पत्र क्यों चलाना चाहिए और उनमें किन विषयों को महत्व देना चाहिए, इस विषय में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के विचार स्पष्ट थे। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत 31 जनवरी, 1920 को मूकनायक नामक पत्र से की थी। इस पत्र के पहले अंक में उन्होंने अपने पत्रकारिता का तात्पर्य स्पष्ट किया था। अन्याय से पीड़ित समाज के उत्थान के लिए पत्रकारिता करनी चाहिए। जिसके साथ अन्याय हुआ है, प्रगति के पथ पर रोक लगा दी गई है। जो सुखी हैं। उनके लिए पत्रकारिता करनी चाहिए। जिनका जीवन सुखी है। ऐसे लोगों के लिए पत्रकारिता करना अपराध होगा। मूक समाज को बोलने के लिए पत्रकारिता करनी चाहिए। बंद दरवाजों को नई प्रगति के लिए खोलना चाहिए। उन तक तेजोमय किरण पहुंचने के लिए पत्रकारिता करनी चाहिए। पत्रकारिता के आधुनिक रूप को देखकर यह देखा जा सकता है कि, सामाजिक रूप से उन्मुख पत्रकारिता की उपेक्षा की जा रही है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर पत्रकारिता को समाज सुधार का एक साधन मानते हैं। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सामाजिक प्रतिबद्धता के सिद्धांत को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अंकित करते हैं।

आधुनिक भारत के निर्माण में समाचार पत्र की तत्कालीन भूमिका से डॉ. बाबासाहब आंबेडकर भलीभांति परिचित थे। दलित - शोषित वर्ग में जागरूकता लाने के लिए समाचार पत्र से बढ़कर दूसरा कोई प्रभावी साधन नहीं है। वह इस बात से भलीभांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने चार समाचार पत्रों का संपादन किया। डॉ. आंबेडकर ने 65 वर्ष 7 महीने 22 दिनों की अपनी जिंदगी में करीब 36 वर्ष तक पत्रकारिता की। हां, बीच-बीच में कुछ अंतराल आते रहें। उनकी पत्रकारिता का काल 1920 से 1956 तक विस्तारित है। ‘मूकनायक’ का पहला अंक 31 जनवरी 1920 को निकला, जबकि अंतिम अखबार ‘प्रबुद्ध भारत’ का पहला अंक 4 फरवरी, 1956 को प्रकाशित हुआ। इसके बीच में ‘बहिष्कृत भारत’ का पहला अंक 3 अप्रैल 1927 को, ‘समता’ का पहला अंक 29 जून 1928 और ‘जनता’ का पहला अंक 24 नवंबर 1930 को प्रकाशित हुआ। ‘मूकनायक’ से ‘प्रबुद्ध भारत’ तक की उनकी यात्रा उनके जीवन-यात्रा, चिंतन-यात्रा और संघर्ष-यात्रा का भी प्रतीक है। बाबासाहब अपने समाचार पत्र के माध्यम से 20वीं शताब्दी के भारत को प्रबुद्ध बनाना चाहते थे। उनके समाचार समाचार पत्र दलित- शोषित वर्ग के उत्थान के लिए शुरू हुए थे। समाज में समाचार पत्रों का क्या स्थान है। इस विषय में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का स्पष्ट कहते हैं कि, मूक समाज से बात करना और उनमें जागरूकता लाना ही पत्रकारिता करना

है। बाबासाहब अपने समाचार पत्र के मिशन को स्पष्ट करते हुए महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज जी की पंक्तियों को मूकनायक पत्र में अंकित करते हैं।

काय करू आता धरूनिया भीड !

निःशंक जे तोंड वाजविले !!

नव्हे जगी कोणी मुक्की यांचा जाण !

सार्थक लाजून नव्हे हित !!

(अब संकोच करने का कोई कारण नहीं है। अब निःशंक होकर बात करूंगा। मूक होकर जीने में कोई मतलब नहीं है, लाज-संकोच से किसी का हित नहीं होता।) तुकाराम महाराज की इन अत्यंत सार्थक पंक्तियों को बिरुदावली (स्लोगन) के रूप में प्रस्तुत कर बाबासाहब मूक समाज के अंतरतम हृदय को पाठकों के समक्ष प्रकट करते हैं।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अखबारों में लेख लिखते हुए तमाम विषयों की व्याख्या करते नजर आते हैं। सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा कोई भी विषय उनके लेखन की सीमा से बाहर नहीं है। सामाजिक रूप से लाभकारी और उपयोगी विषयों को बाबासाहब बखूबी संभालते हैं। पुनीत पांडियन डॉ. आंबेडकर जी की पत्रकारिता के बारे में कहते हैं। “Dr. Ambedkar’s Marathi newspapers announced a new politics and ethics and anticipated a just social order (Pandian, 2005).”<sup>8</sup> डॉ. आंबेडकर के समाचार पत्रों ने एक नई राजनीति और नैतिकता की शुरुआत की और एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था की आशा की। पत्रकारिता आंदोलन का एक उपकरण थी। जिस समाज के समाचार पत्र सामाजिक रूप से उन्मुख होते हैं वह अधिक गहरा हो जाता है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का ऐसा दृढ़ मत था, इसलिए उनका मानना था कि समाचार पत्र प्रकाशित करना और उसे सफलतापूर्वक चलाना बड़े साहस और शक्ति का काम है। “It is depressing that we don’t have enough resources with us. We don’t have money; don’t have newspapers; Throughout India, each day our people are suffering under authoritarianism with no consideration, and discrimination; those are not covered in the newspapers. By a planned conspiracy the newspapers are involved full-fledged in silencing our views on socio-political problems” (Dr. Ambedkar, 1993).<sup>9</sup> यह निराशाजनक है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। हमारे पास पैसा नहीं है; कोई समाचार पत्र नहीं; पूरे भारत में, हमारे लोग प्रतिदिन बिना किसी विचार और भेदभाव के तानाशाही के अधीन हैं; वे अखबारों में नहीं आते। योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर हमारे विचारों को चुप कराने में अखबारों की मिलीभगत है। समाचार पत्र चलाने के दौरान उन्हें कितने त्याग करने पड़े और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस बारे में बाबासाहब की आत्म-रिपोर्ट अंतर्दृष्टिपूर्ण है। ‘बहिष्कृत भारत का ऋण यह अलौकिक ऋण नहीं है क्या? (बहिष्कृत भारताचे ऋण हे लौकिक ऋण नव्हे काय?) इस लेख में बाबासाहब कहते हैं, प्रस्तुत (डॉ. आंबेडकर) लेखक ने सामाजिक कार्य करने में जितना स्वार्थ हो सकता है, त्याग दिया है। वह न तो कोई संस्थानिक है और न ही जहागिरदार। उसके बारे में किसी का यह कहना कि वह जंगल में नहीं है, खेत में नहीं है और गाँव में नहीं है, सत्य है। रूढ़िवादी नैतिकता और नैतिकता के दोषों को निर्भीक रूप से उजागर करने का दुर्जेय कार्य करने के साथ-साथ वह तथाकथित देशभक्ति और पवित्र पत्रों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अपमानों और शापों की बौछार से भी उतना ही सहज है। बाबासाहब बहिष्कृत भारत समाचार पत्र चलाने में आने वाली कठिनाइयों के

बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये भावनाएँ उनके पत्रकारिता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। “Ambedkar understood that another source for discrimination in the media was due to the upper caste domination. He said that the staff of the Associated Press of India, which is the main news distributing agency in India, is entirely drawn from Madras Brahmins— indeed the whole of the press is in their hands and who, for well known reasons, are entirely pro-congress and will not allow any news hostile to the congress to get publicity. These are reasons beyond the control of the untouchables (Ambedkar 1993)<sup>10</sup> डॉ. आंबेडकर उच्च जाति के प्रभुत्व के कारण मीडिया में उत्पन्न भेदभाव की चर्चा करते हैं। समाचार पत्र चलाने के लिए केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि उस समाज की मानसिकता भी है, जिसमें आप समाचार पत्र चलाने जा रहे हैं। आज अनेक समाचार पत्र विभिन्न भागों से प्रकाशित होते हैं। उनके बीच मुकाबला कड़ा है। प्रतिस्पर्धी समाचार पत्र सामाजिक रूप से जागरूक समाचार पत्रों का गला घोटते हैं। उनकी स्थिरता को लागू नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप समाचार पत्र व्यवसाय को बंद करना पड़ता है। वाणिज्यिक समाचार पत्रों की नीति के संबंध में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का दृष्टिकोण उनके विचारों के माध्यम से व्यक्त होता है। देशभक्त और धार्मिक होने का दावा करने वाले अखबारों की बात करते हुए वह इन अखबारों के प्रभाव का साफ-साफ वर्णन करते हैं। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी की पत्रकारिता में निहित सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि आज भी उतनी ही उपयुक्त है। सामाजिक प्रश्नों का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ है। समय बदल रहा है। तदनुसार, प्रश्न की प्रकृति भी बदल रही है। हालांकि, कुछ सामाजिक मुद्दों की गंभीरता अभी भी उतनी ही गंभीर है। पत्रकारिता को सामाजिक सदभाव प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। समाज निर्माण में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका है। जन जागरूकता बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पत्रकारिता का प्रभावी उपयोग एक चुनौती बना हुआ है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करते हुए यदि हम किस समाज के नीतिगत मूल्य का निर्धारण करें तो मीडिया की समस्याएँ कम हो जाएँगी। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कारोबार करना अभी के समय में बड़ा कठिन कार्य बन चुका है। मीडिया के सामने चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। बहरहाल, अगर हम डॉ. बाबासाहब जी के पत्रकारिता के दृष्टिकोण को समझें तो वहाँ हमें सामाजिक प्रतिबद्धता की पत्रकारिता नजर आती है। इसी माध्यम से हम सामाजिक सरोकारकी पत्रकारिता कर पाएँगे। पत्रकारिता लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बनेगा।

### निष्कर्ष:

जनता के मन और मस्तिष्क को जगाने के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भूटान के प्रधान मंत्री जिग्मी वाई थिनले कहते हैं, "भूटान सरकार की राय है कि सूचना का अधिकार समाज और मीडिया राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक हैं। उम्मीद है कि नागरिकों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्यों का आदान-प्रदान होगा और भावनात्मक बंधन बनेंगे। नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी समस्याओं, सफलताओं और असफलताओं पर खुलकर चर्चा करें और समस्या को हल करने में सरकार का सहयोग करें। मीडिया को उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए" (परांजपे 2010)<sup>11</sup> यह लोकतंत्र में समाचार पत्रों की भूमिका को दर्शाता है। प्रभाकर पाध्ये 'लोकतंत्र में समाचार पत्रों को क्या कर्तव्य निभाना

चाहिए', के सन्दर्भ में कहते हैं कि, "समाचार पत्रों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा और उन्नति को पहचानना चाहिए। सीधा सा कारण यह है कि केवल लोकतंत्र में ही अखबार, अखबार होता है, तानाशाही में, यह अखबार नहीं है। इसलिए मतपत्र वास्तव में सरकार की प्रेस विज्ञप्ति है और यह भूमिका अखबारों के लिए खतरनाक है। समाचार पत्र प्रचार के उपकरण नहीं बल्कि शिक्षा के उपकरण हैं" (पाध्ये 2007)<sup>12</sup> लोकतंत्र में समाचार पत्र जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना एक समाचार पत्र का प्राथमिक कर्तव्य है। जनहित के लिए सदैव तत्पर रहने का कार्य समाचार पत्रों को करना है। ऐसा होने पर ही लोकतंत्र को मजबूत करने में समाचार पत्र एक प्रमुख साधन बनेंगे। मनीषा द्विवेदी और शशि प्रभा शर्मा ने अपनी किताब 'पत्रकारिता के सिद्धांत और मूलतत्व' में कहा है, समाचार पत्र जनता के सेवक है, वे न अपने मालिकों के प्रति उत्तरदायी है और न ही किसी सरकार या अधिकारी के प्रति सिर झुकाने को बाध्य है, वे यदि जबाबदेह है तो जनता के सम्मुख है। (द्विवेदी, शर्मा, 2006)<sup>13</sup> समाचार पत्रों का स्वामित्व लोगों के पास होता है। लोकतंत्र में समाचार पत्रों पर जनता का पूर्ण अधिकार होता है। उन्हें लोगों को साक्षर और सशक्त बनाने का काम करना है। मीडिया एक प्रक्रिया है। उनका काम केवल ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि समाज का चरित्र निर्माण करना भी है। न केवल जानकारी देना, बल्कि ज्ञानवर्धक, न केवल रोमांच या सुखद अनुभव, बल्कि इंद्रियों की धारणा को बदलकर हमारे स्वभाव को भी बदलना (डॉ. धारकर 2008)<sup>14</sup>

लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को बनाए रखने और भविष्य में इसे मजबूत बनाने की है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी को मीडिया से अपेक्षा है की, लोकतंत्र के मूल्यों को लोगों में अंकित करना और लोकतंत्र के समर्थन में काम करना। मीडिया के लिए यह एक चुनौती होगी। भारत अमृतकाल महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में मीडिया के सामने कई दिक्कतें हैं। उनमें सफल होने के लिए यदि डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के पत्रकारिता के दृष्टिकोण को लक्ष्य बनाकर पत्रकारिता की जाती है, तो यह निश्चित रूप से पत्रकारिता के साथ न्याय होगा।

### संदर्भ सूची:

1. डॉ. देवरे पी.डी., सामाजिक चळवळ, जनसहभाग आणि भारतीय लोकशाही, विचार मंथन, संशोधन पत्रिका, सामाजिक चळवळी, लोकसहभाग आणि भारतीय लोकशाही, जानेवारी 2010, अंक 12 पृष्ठ क्र. 07
2. डॉ. वाडकर कस्तुरे, 'सामाजिक चळवळी, सामुहिक सहभाग आणि भारतीय लोकशाही' किताब .... पृष्ठ क्र. 23
3. G. Stuart Adam, Roy Peter Clerk, Journalism the Democratic, Craft, Oxford University Press, New Yark 2006 Page No.15
4. माथुर मीना, प्रजातन्त्र प्रेस तथा प्रशासन, ए.बी.डी. पब्लिशर्स, जयपूर, 1999 पृष्ठ क्र.2
5. डॉ. गव्हाणे सुधीर, पत्रकारिता शोध व बोध, विश्वक्रांती प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथमावृत्ती, 2008, पृष्ठ क्र. 33
6. किताब ..... पृष्ठ क्र. 9



7. कित्ता ..... पृष्ठ क्र. 7,8, व 9

8. SAGE Publications has published a book titled 'Practising Journalism - Values, Constraints, Implications'. (2005), Quoted by Punitha Pandian.

9. Babasaheb Dr. Ambedkar's Book collection: Volume 17, 1993, Government of India

10 Babasaheb Dr. Ambedkar's Book collection: Volume 2, 1993, Government of India

11. परांजपे समीर, राष्ट्रीय समाधानाचे मापदंड आणि मीडिया, दै. लोकसत्ता, लोकमुद्रा, रविवार पुरवणी दि. 9 मे 2010  
पृष्ठ क्र. 7

12. पाध्ये प्रभाकर, पत्रकारितेची मुलतत्वे, अनुवाद - प्र. ना. परांजपे / वसुधा परांजपे मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे  
आवृत्ती 2007 पृष्ठ क्र. 36

13. द्विवेदी मनिषा, शर्मा शशीप्रभा, पत्रकारिता के सिद्धांत एवं मुलतत्त्व, कनिष्क पब्लिशर्स, नई देहली, प्रथम संस्करण  
2006, पृष्ठ क्र. 48

14. डॉ. धारुकर वि.ल., जनसंवाद सिद्धांत, चैतन्य प्रकाशन औरंगाबाद, प्रथमवृत्ती 2008 पृष्ठ 43